यदि आपकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं?

- आप पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) या पुलिस उप–महानिरीक्षक और पुलिस महा–निरीक्षक जैसे उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं और उनके ध्यान में अपनी शिकायत ला सकते हैं;
- आप संबंधित पुलिस अधीक्षक को अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं या डाक से भेज सकते हैं। यदि एस.पी. आपकी शिकायत से संतुष्ट है तो, वह मामले की स्वयं जांच कर सकतें हैं या जांच करने का आदेश दे सकते हैं;
- आप क्षेत्राधिकार वाली अदालत में सम्बंधित मेजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं;
- यदि पुलिस कानून लागू नहीं करती या इसे पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट तरीके से लागू करती है तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं।

पुलिस आपकी एफ.आई.आर. पर आगे की कार्यवाही स्थगित कर सकती है। यदि:

1. मामला गंभीर स्वरूप का नहीं है
2. पुलिस महसूस करती है कि जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

तथापि, पुलिस को मामले की जांच न करने के कारणों को दर्ज कर, सम्बंधित मेजिस्ट्रेट को सौंपना चाहिए और आपको इसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए,

(धारा 157, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५४ के अन्तर्गत)

१. जिला ..... थाना.....वर्ष.....प्र.सू.रि.सं.....तिथि.....
२. अधिनियम .....धाराएं .....
३. (क) अपराध घटित होने का दिन ..... समय अवधि .....
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त हुईदिनांक ..... समय .....
   (ग) सामान्य डायरी संदर्भ: प्रविष्टि संख्या ..... समय .....
४. सूचना का प्रकार: लिखित / मौखिक
५. घटित होने का स्थान: (क) थाने से पासले एवं से दिशा ..... गश्त संख्या .....(ख) पता ..... (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तो थाना का नाम..... जिला .....
६. शिकायतकर्ता/सूचनाकार
   (क) नाम .....
   (ख) पिता/पति का नाम .....
   (ग) जन्मतिथि/जन्मवर्ष .....
   (घ) राष्ट्रीयता .....
   (छ) पता .....
७. ज्ञात/संदेहास्पद/अज्ञात सिद्द दोषियों का पूरा ब्योरा दीजिए
   (क).....
   (ख).....
८. शिकायतकर्ता/सूचनाकार द्वारा रिपोर्ट विलम्ब से रिपोर्ट करने का कारण .....
९. चुराईगई/सम्बद्द संपत्ति का ब्यौरा दीजिए .....
१०. चुराईगई/सम्बद्द संपत्ति का मूल्य .....
११. मृत्यु की जांच रिपोर्ट/अप्राकृतिक मृत्यु केस संख्या, यदि कोई हो .....
१२. प्रथम सूचना रिपोर्ट:
१३. की गई कार्यवाई: चूंकी उक्त रिपोर्ट मद संख्या २ पर उल्लिखित धाराओं के अनुसार हुए अपराधों को उजागर करती है:
   (क) मामले को दर्ज किया तथा छानबीन शुरु कर दी
   (ख) नाम..... रैंक..... नं ..... पी.आई.एस. नं..... को जांच आरंभ करने का निर्देश दिया/जांच सौंपी गयी।
   (ग) जांच/अन्वेषण करने के लिए इंकार कर दिया क्योकि .....
   (घ) क्षेत्राधिकार वाले थाने ..... जिला ..... को हस्तान्तरित कर दिया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायतकर्ता/सूचनाकार को पढकर सुनाई गई उसने ठीक माना कि इसे सही सही दर्ज किया गया है और इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता/सूचनाकार को निशुल्क दी गई।

थाना प्रभारी/कर्तव्य अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम..... रैंक..... संख्या.....

१४. शिकायतकर्ता/सूचनाकार के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा
१५. न्यायालय को भेजने की तिथि व समय .....

* (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुख्य अंश)

सी.एच.आर.आई. के संबंध में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकारों को व्यवाहारिक रूप से हासिल करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानव अधिकार मानदंडों के अधिक से अधिक अनुपालन की वकालत करता है।

वर्तमान में, हम निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं:

- पुलिस सुधार
- कारागार सुधार
- सूचना का अधिकार
- नीतिगत पहल संबंधी कार्यक्रम
- कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिटींग (सी.एच.ओ.जी.एम.) की रिपोर्ट

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, दूसरा तल,
सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली 110017, भारत
फोन: +91 011 43180200, 43180225–299
फैक्स: +91 011 26864688
ई.मेल: info@humanrightinitiative.org
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

प्रथम सूचना रिपोर्ट और आप

पुलिस और आप

अपने अधिकार जानिए

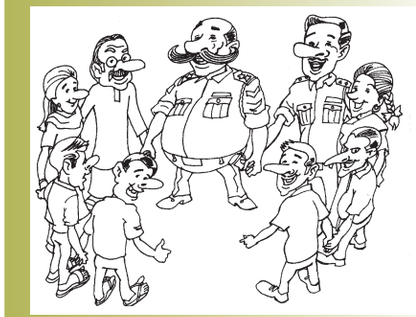

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

एफ.आई.आर. क्या होती है?

प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज़ होता है जो पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट में वह सूचना होती है जो सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है और यही कारण है कि इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।

यह आमतौर पर ऐसी शिकायत होती है जिसे किसी संज्ञेय अपराध के पीड़ित द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कि जाती है।

कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस को मौखिक रूप से या लिखित रूप से दे सकता है। टेलीफोन द्वारा दी गई सूचना को भी एफ.आई.आर. माना जा सकता है।

एफ.आई.आर. महत्वपूर्ण क्यों होती है?

एफ.आई.आर. काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है क्योंकि यह आपराधिक न्याय की प्रक्रिया की शरूआत करता है। थाने में एफ.आई.आर. के दर्ज होने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू करती है।

एफ.आई.आर. कौन दर्ज करा सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध घटित होने के बारे में जानता है एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल किसी अपराध का पीड़ित व्यक्ति ही एफ.आई.आर. दर्ज कराए। कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे संज्ञय अपराध होने की जानकारी मिलती है स्वयं भी एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है।

आप एफ.आई.आर. दर्ज कराते हैं, यदिः

- ☛ आप वह व्यक्ति हैं जिसके खिलाफ कोई अपराध घटित हुआ है;
- ☛ आपको स्वयं किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी है;

एफ.आई.आर. दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है?

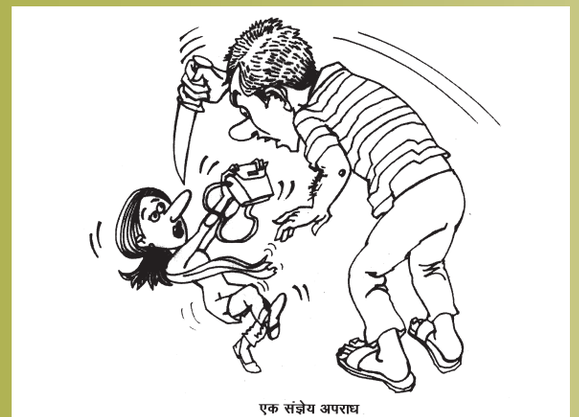

एक संज्ञेय अपराध

एफ.आई.आर. दर्ज कराने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में निर्धारित है। जब किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस को मौखिक रूप से दी जाती है तो पुलिस को इसे अवश्य लिखनी चाहिए।

- ☛ सूचना देने वाले अथवा शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति के रूप में आपका यह अधिकार है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई सूचना आपको पढ़कर सुनाई जाए;
- ☛ पुलिस द्वारा जानकारी दर्ज करने के बाद इस पर सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए;
- ☛ आपको रिपोर्ट पर हस्ताक्षर तभी करना चाहिए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई जानकारी आपके द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार ही है;
- ☛ वैसे व्यक्ति जो पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें कागजात पर अपने अंगूठे के निशान तभी लगाने चाहिए जब वह संतुष्ट हो जाए कि रिपोर्ट सही दर्ज की गई है;
- ☛ यदि आपको पुलिस एफ.आई.आर. की कॉपी नहीं देती तो आपको उसकी एक प्रति अवश्य मांगनी चाहिए, आपका यह अधिकार है कि आपको इसकी एक प्रति निःशुल्क दी जाए।

आपको एफ.आई.आर. में क्या उल्लेख करना चाहिए?

- ☛ आपका नाम और पता;
- ☛ जिस घटना की आप सूचना दर्ज कर रहे हैं उसकी तारीख, समय और स्थान;
- ☛ घटना के सही तथ्य जैसे वे घटित हुए हों;
- ☛ घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और ब्यौरा;
- ☛ साक्षी, (यदि कोई हो) का नाम और ब्यौरा।

वे काम जो आपको नहीं करना चाहिएः-

- ☛ पुलिस के समक्ष कभी भी गलत सूचना दर्ज न करें या उन्हें गलत सूचना न दें। गलत सूचना देने या पुलिस को भ्रमित करने पर कानून के अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है ।

  (धारा 203 भारतीय दंड संहिता 1860)

- ☛ कभी भी तथ्यों को बढ़ाएं–चढ़ाएं या तोड़े–मरोडें नहीं।
- ☛ कभी भी धुमिल अथवा अस्पष्ट ब्यान न दें।

संज्ञेय अपराध

संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को संज्ञेय अपराध में स्वयं ही जांच शुरू करने का अधिकार है और उन्हें जांच के लिए किसी अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है।

एक असंज्ञेय अपराध

असंज्ञेय अपराध

असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी को अधिकार नही है कि वह बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। पुलिस ऐसे अपराध की जांच बिना अदालत की स्वीकृति के नहीं कर सकती है।